समक्ष: एस. एस. सोधी और जे. बी. गर्ग, न्यायमूर्ति

जगतर सिंह और अन्य- याचिकाकर्ता

बनाम

राज्य परिवहन प्राधिकरण, यू टी चंडीगढ़ और अन्य- उत्तरदाता

1988 की संशोधित सिविल रिट याचिका संख्या 8984

30 नवंबर, 1990

मोटर वाहन अधिनियम, 1988- धारा 56- मोटर वाहन (राष्ट्रीय परमिट) नियम, 1975- केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 द्वारा संशोधित नियम 6- नियम 88- भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 14 और 19- राष्ट्रीय परमिट देने या जारी रखने की शर्त के रूप में वाहन की आयु निर्धारित करने का नियम- 1989 द्वारा संशोधित नियम 6- 9 वर्ष से अधिक पुराने परिवहन वाहनों को राष्ट्रीय परमिट देने के लिए अयोग्य ठहराना संवैधानिक रूप से मान्य है।

अभिनिर्धारित किया गया कि मोटर वाहन (राष्ट्रीय परमिट) नियम, 1975 का वह नियम 6 (केंद्रीय वाहन नियम, 1989 द्वारा संशोधित) संवैधानिक रूप से मान्य है और इसलिए नौ वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को राष्ट्रीय परमिट से वंचित करने की शर्त स्पष्ट रूप से मान्य और कानूनी है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत संशोधित रिट याचिका में यह अनुरोध किया गया है कि:-

(i) प्रत्यर्थी संख्या 1 को याचिकाकर्ताओं के वाहनों के प्रतिस्थापन पर जोर न देने और 1989 के नियम 88 के साथ पठित मोटर वाहन (राष्ट्रीय परमिट) नियम, 1975 के तहत प्राधिकरण जारी करने का निर्देश देने के लिए अनिवार्य रिट जारी की जानी चाहिए;

(ii) मोटर वाहन (राष्ट्रीय परमिट) नियम, 1975 के नियम 6 [जैसा संशोधित] और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 88 को निरस्त करते हुए प्रमाणपत्र की एक रिट जारी की जानी चाहिए;

(iii) मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त समझे जाने वाले किसी अन्य उपयुक्त रिट, निर्देश या आदेश जारी किए जाने चाहिए;

(iv) कि अनुलग्नकों की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने के साथ वितरित की जाएं, और फोटो की प्रतिलिपि दायर करने की अनुमति दी जाए;

(v) इस याचिका की लागत प्रदान की जाए।

याचिकाकर्ताओं के वकील एच एस साहनी और एस एस राणा

गुलशन शर्मा, अधिवक्ता, उत्तरदाता नंबर 1 के लिए

आशुतोष मोहंता, अधिवक्ता, उत्तरदाता नंबर 2 के लिए

निर्णय

एस. एस. सोधी, न्यायमूर्ति

(1) यहां चुनौती मोटर वाहन (राष्ट्रीय परमिट) नियम, 1975 के नियम 6 की संवैधानिक वैधता के संबंध में है [जैसा कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 द्वारा संशोधित किया गया है] जो नौ साल से अधिक पुराने परिवहन वाहनों को राष्ट्रीय परमिट देने के लिए अयोग्य बनाता है। एक बार दिए गए ऐसे परमिट उस

तारीख से अमान्य हो जाएंगे जिस दिन उसके द्वारा कवर किया गया वाहन अपने प्रारंभिक पंजीकरण से नौ साल पूरे करेगा।

(2) याचिकाकर्ताओं (जगतर सिंह और अन्य) को 1975 के नियमों के तहत चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय परमिट दिए गए थे और उन्होंने 30 सितंबर, 1988 तक इसके तहत प्राधिकरण रखा था। जब उन्होंने इस तरह के प्राधिकरण के विस्तार के लिए आवेदन किया, तो उन्हें इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि राष्ट्रीय परमिट द्वारा कवर किए गए उनके वाहन नौ साल से अधिक पुराने थे। [उनके खिलाफ 1989 के नियमों के नियम 88 का हवाला दिया गया था]

(3) श्री एच. एस. साहनी [याचिकाकर्ताओं के वकील] का मुख्य जोर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 56 के प्रावधानों पर था, जिसमें ऐसे परमिटों के अनुदान के लिए एक आवश्यक पूर्व शर्त को निर्धारित किया गया था। तर्क यह था कि आवश्यकता जैसे-मोटर वाहन के पास फिटनेस का प्रमाण पत्र होना चाहिए, राष्ट्रीय परमिट जारी रखने के अनुदान के लिए एक और शर्त के रूप में वाहनों की उम्र तय करना एक मनमाना और अनुचित प्रतिबंध का गठन करता है। इस प्रकार यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन था।

(4) इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि राष्ट्रीय परमिट के अनुदान या निरंतरता के प्रयोजनों के लिए वाहनों की आयु निर्धारित करने वाला नियम अधिनियम के दायरे से बाहर था क्योंकि ऐसी कोई आयु इसके किसी भी मूल प्रावधान द्वारा निर्धारित नहीं की गई थी।

(5) हालांकि, उठाए गए मुद्दे अब न्यायिक उदाहरणों द्वारा कवर किए गए हैं। मोटर वाहनों की आयु के बारे में सवाल, परमिट देने के संदर्भ में, सुभाष चंद्र और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया। उस मामले में मामला मिनी बसों के लिए अनुबंध कैरिज परमिट से संबंधित था। इस तरह के परमिट के लिए शर्तों में से एक यह थी कि वाहन सात साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। इस शर्त के अधिरोपण को निम्नलिखित अवलोकन के साथ बरकरार रखा गया था, "सड़क उपयोगकर्ताओं के मानवाधिकारों के दृष्टिकोण से, अनुमत बस के मॉडल के संबंध में शर्त, अधिकार क्षेत्र के भीतर है"। वहाँ एक याचिका भी दायर की गई थी जो फिटनेस का प्रमाण पत्र जारी करने पर आधारित थी। इसे निम्नलिखित अवलोकन के साथ दूर किया गया था, "मॉडल के वर्ष के आकार में, एक अतिरिक्त आवश्यकता और सुरक्षा कारक के रूप में, एक वाहन के सवारी करने के लिए उपयुक्त होने और स्थिति के बीच कोई संघर्ष नहीं था।" इस स्थिति को "एक अतिरिक्त उपाय, मशीन की विफलता के खिलाफ एक और बीमा और 'फिटनेस' प्रावधान का खंडन नहीं कर सकता" के रूप में वर्णित किया गया था।

(6) सुभाष चंद्र के मामले में यथा विहित विधि अभी भी सत्य है और वास्तव में इसका अनुसरण और अनुमोदन एस. के. भाटिया और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया था और 1990 की सिविल रिट याचिका 9988 में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा [डी. पी. शर्मा बनाम भारत संघ] (3) 21 अगस्त, 1990 को निर्णय दिया गया था।

(7) 24 जुलाई, 1990 को विनिश्चित 1990 की सिविल रिट याचिका 916 (वी. के. नागपाल बनाम भारत संघ) में दिल्ली उच्च न्यायालय के विनिश्चय का निर्देश करना भी समीचीन होगा, जहां 1975 के नियम 6 (1989 के नियमों द्वारा यथा संशोधित) को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के कारण चुनौती को निरस्त कर दिया गया था।

(8) इसलिए, 1975 के नियमों के नियम 6 (1989 के नियमों द्वारा संशोधित) को संवैधानिक रूप से वैध माना जाता है और इसलिए नौ वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को राष्ट्रीय परमिट से इनकार करने या ऐसे परमिट के अमान्य होने की शर्त स्पष्ट रूप से वैध और कानूनी है।

(9) इस रिट याचिका को तदनुसार खारिज कर दिया जाता है। हालाँकि, इन परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रमनीक कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

फ़रीदाबाद, हरियाणा